<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>22/09/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एन. एन. फाइनैन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित मेसर्स इन्डस्ट्रीअल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के 42.13 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य के इक्विटी शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने एक अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका के लिए 33 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध एक आरोप-पत्र और एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया।

आरोप-पत्रों के अनुसार, आरोपित कंपनियों व व्यक्तियों ने एक व्यापक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूखंड बेचने व उसे विकसित करने के बहाने भारत भर में लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट भुगतान योजना के तहत निवेश करने के लिए उकसाया गया, और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, भूमि कभी प्रदान नहीं की गई, और निवेशकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी देय हैं।

ईडी ने अपराध की आय के शोधन में शामिल अलग-अलग आरोपितों व संस्थाओं के विरुद्ध 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की तथा 2018 में एक अभियोजन शिकायत, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में छः पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर कीं।

ईडी ने 30.90 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदे गए मेसर्स एन. एन. फाइनैन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित मेसर्स इन्डस्ट्रीअल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के 29,46,341 इक्विटी शेयर, जिनका 18.09.2026 को बाजार मूल्य 42,13,26,763 रुपये (143 रुपये प्रति शेयर) है, को कुर्क किया है। जांच से पता चला है कि मेसर्स एन. एन. फाइनैन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित मेसर्स इन्डस्ट्रीअल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड से विपथित धन, जो कि मूल रूप से भोले-भाले निवेशकों से जुटाया गया तथा अपराध से अर्जित आय है, से वित्तपोषित किया गया था।

उक्त कुर्की के साथ, ईडी भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर अब तक लगभग 29,667.76 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

आगे की जांच जारी है।

***